

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./एएनएम/एम-133/2025/ 74

दिनांक : 25/2/25

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

अलवर/अजमेर/बांसवाडा/बाड़मेर/भरतपुर/  
बीकानेर/सून्दी/चित्तौड़गढ़/रतनगढ़/धौलपुर/  
झुंजरपुर/गंगानगर/जयपुर-प्रथम/जोरालमेर/  
जालौर/झालावाड/झुन्झुनू/जोधपुर/करौली/  
कोटा/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही/टोंक/  
उदयपुर/दौसा/स.माधोपुर/हनुमानगढ़/बारां/  
राजसमन्द/भीलवाडा/प्रतापगढ़/केकडी(अजमेर) (राज0)।

**विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु दिनांक 05.03.2025 को काउंसलिंग किये जाने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2024-25 में चयन के लिए 05.03.2025 को काउंसलिंग की जानी है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जावे :-

1. चयन विज्ञप्ति क्रमांक प्रशि./म.स्वा.कार्य./356 दिनांक 29.11.2024 में उल्लेखित योग्यता एवं शर्तों के अनुरूप ही किया जावे।
2. चयन पूर्णतया प्राप्तोंको के प्रतिशत की मेरिट के अनुसार ही किया जावे।
3. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, बारांवाडा एवं झुंजरपुर जिले में कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.07.2016 के अनुसार आरक्षण देते हुए टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जा सकेगा अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
4. आरक्षित अभ्यर्थियों को चयन में विज्ञप्ति में दर्शायी गयी सीटों के अनुरूप ही अजा0/अजजा0/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में नियमानुसार 5 वर्ष की छुट दी जावे।
5. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ 11 (125)/ओबीसी/जाट/R&P/SJED/2016/48825 दिनांक 23.08.2017 के अनुसार राजस्थान राज्य की अन्य पिछडा वर्ग अधिकृत सूची में धौलपुर एवं भरतपुर जिले की जाट जाति वर्ग को सम्मिलित कर लिया गया है। अतः भरतपुर एवं धौलपुर के जाट जाति वर्ग को ओबीसी में सम्मिलित किया जावे।
6. कार्मिक (क-2) के पत्र क्रमांक : एफ 7 (1) कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार जारी अधिसूचना प.2(12)विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार अति पिछडे वर्गों के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में जो विहित किये जाये, प्रवेश के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण देय होगा। अति पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।  
(उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वैबसाईट पर करे।)
7. कार्मिक (क-2) के पत्र क्रमांक : एफ 7 (1) कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार जारी अधिसूचना क्रमांक : एफ 7 (1) डीओपी/ए-11/2019 दिनांक 19.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ स्केन कर अपलोड करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। (उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वैबसाईट पर करे।)
8. जनजाति उपयोजना क्षेत्र (TSP& SC/ST) के जनजातिय अभ्यर्थियों का सक्षम स्तर से जारी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की जांच की जावे। सहरिया वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले का सक्षम स्तर से जारी निवास प्रमाण पत्र की जांच की जावे।
9. समान प्रतिशत के अभ्यर्थियों की स्थिति में अधिक आयु वाली अभ्यर्थी चयन योग्य होगी।
10. केवल एक पैर से दिव्यांग (O.L.) 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग होने पर निःशक्त अभ्यर्थी को होरिजेण्टल/वरीयता के आधार पर आरक्षण देय होगा। 40 प्रतिशत से कम निःशक्तता (O.L.) होने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
11. शैक्षणिक योग्यता बाबत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशिका तथा उसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मान्य शैक्षणिक संस्थान से सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसके लिए उनके द्वारा प्रकाशित विवरणिका को आधार माना जावे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.वी. स्पेशल अपील संख्या 534/05 द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरा बनाम फिरदोस तरनुम में दिनांक 20.01.2006 को पारित

निर्णय की पालना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक : मान्यता/ईएस/1045 दिनांक 05.07.2011 एवं पत्रांक 2042 दिनांक 17.11.2011 के क्रम में राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 588 दिनांक 18.07.2014 के अनुगोदनानुरार जागिया' उर्दु अलीगढ़ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।

- प्रोविजनल मेरिट के अनुसार जितने अभ्यर्थी चयन हेतु लिये जाने उसके 5 गुणा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया जावे। उनके कॉल लैटर पर यह आवश्यक अंकित कर दे कि "यह प्रवेश का पत्र नहीं है। निर्धारित सीटों की संख्या के 5 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अतः मेरिट के अनुसार ही उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जा सकेगा।" कॉल लैटर अभ्यर्थियों को रजि0 डाक द्वारा भिजवाया जाकर दिनांक 05.03.2025 को काउंसलिंग हेतु बुलाया जावे।
- काउंसलिंग करने हेतु निम्नलिखित कगेटी गठित की जाती है :-
  - संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अध्यक्ष।
  - संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य।
  - संबंधित नर्सिंग अधीक्षक/ प्रभारी, म.स्वा.का. प्रशिक्षण केन्द्र सदस्य।
  - संबंधित जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि सदस्य।

इनमें से यदि कोई सदस्य उपलब्ध नहीं होने पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शामिल किया जावे।

- काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी का प्रशिक्षण हेतु किया गया चयन अंतिम चयन होगा, चयनित अभ्यर्थियों को चयन पत्र आदि दिये जावे एवं उररी दिन से प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावे। चयन हेतु बुलाये गये समस्त 5 गुणा अभ्यर्थियों की सूची मय चयन आदेश व चयन समिति की रिपोर्ट सहित अगले दो दिवस के अन्दर-अन्दर गोपनीय बन्द लिफाफे में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को विशेष पत्र वाहक के साथ आवश्यक रूप से भिजवावे, अन्यथा इसको आदेश की अवहेलना माना जावेगा।
- काउंसलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों जिनका चयन नहीं हुआ है, वे प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त रही सीटों पर प्रवेश इस निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही देवे।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में चयनोपरान्त सूचना निम्न निर्धारित प्रपत्र में विशेष पत्र वाहक के साथ अगले दो दिवस के अन्दर-अन्दर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

सर्वे	सामा.	ओबीसी	अनु. जाति	अनु. जनजाति	टीएसपी (एसटी)	राहरिया	टीएसपी (एससी)	(होजित आधार) होरिजेन्टल बेसिस पर				विभागीय वर्तुथ श्रेणी कर्मचारी	
								आठवा0 कार्य0	मिलिट्री/ पैरामिलिट्री/ पुलिस मृतक कर्मियों की विधवाओं/	अन्य श्रेणी की विधवाओं एव तलाकशुदा अभ्यर्थी	दिव्यांग ओएल (एक पैर 40 प्रतिशत)		श्रेणी
चयन का न्यूनतम प्रांतांक प्रतिशत													
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या													
रिक्त सीटों की संख्या													
अन्य विवरण													

- प्रशिक्षण में प्रवेशित अभ्यर्थियों से उनके मूल दस्तावेज ज्योइनिंग के समय जमा कर लिये जावे तथा उनके मूल दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करे और इनका सत्यापन हो जाने के बाद सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे। यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रमाण पत्र/अंकतालिका/अन्य दस्तावेज फर्जी पाया जावे तो अभ्यर्थी को अपनी स्थिती स्पष्ट करने का अवसर देते हुए स्पष्टीकरण असंतोष पाये जाने पर उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करायी जावे और प्रशिक्षण से पृथक करके निदेशालय को सूचित किया जावे।
- काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्रादि शैक्षणिक/जन्मतिथी/जाति प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र/दिव्यांग ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई बिन्दु स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो तत्संबंधी मार्गदर्शन इस निदेशालय से तुरन्त प्राप्त कर लेवे।

